लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) /पे ऑन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट (पीओआई) जारी करना

क. उद्देश्य

- एनटीपीसी/एसईसीआई या किसी अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों से लेटर ऑफ अवार्ड के साथ नई/मौजूदा नवीकरणीय परियोजनाओं को एलओयू/पीओआई प्रदान करना
- एलओयू/पीओआई का इस्तेमाल परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) के बदले में किया जा सकता है। तदनुसार, इस इंस्ट्रूमेंट में किसी भी बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के समान नियम और शर्तें होंगी।

ख. पात्रता मानदंड

- एलओयू ऋणकर्ता के पास पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सकारात्मक नेटवर्थ होना चाहिए
- एलओयू ऋणकर्ता के पास क्रिसिल/केयर/इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च/आईसीआरए से कम से कम बीबीबी+/ए3+ क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए।
- एलओयू की आवश्यकता वाली परियोजनाएं केवल एसईसीआई/एनटीपीसी/अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसी निविदा के तहत प्रदान की जानी चाहिए

ग. सीमाएं

- किसी भी समूह के लिए अधिकतम समूह जोखिम निगम पर लागू आरबीआई समूह जोखिम सीमाओं के अनुसार होगा। किसी भी समूह के पास ₹ 500 करोड़ से अधिक की एलओयू सीमा नहीं हो सकती
- निगम द्वारा सभी उधारकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सभी एलओयू सीमाओं के लिए ₹ 1500 करोड़ की कुल सीमा लागू हो सकती है।

घ. वैधता और अवधि

- सीमा 18 महीने तक के लिए संस्वीकृत की जा सकती है और उसके बाद नवीनीकृत की जा सकती है। समय-समय पर संशोधित निगम की नीति के अनुरूप एलओयू जारी करने के लिए सीमा का उपयोग किया जा सकता है
- एलओयू की अवधि परियोजना अवार्ड एजेंसी (पीएए) द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ अवार्ड के अनुरूप होगी।

ङ. प्रतिभूति

प्रतिभूतियों और कोलेटरल की आवश्यकता निगम की नीति के अनुसार होगी जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है

च. मूल्य निर्धारण

अग्रिम शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क के अलावा, ऋणकर्ता को समय-समय पर संशोधित निगम की नीति के अनुरूप कमीशन और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा।